संख्या- 13 /2022/ई-2015822/71-3099/12/2021-03-

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
फिरोजाबाद।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 24 जनवरी, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में एस0टी0पी0/ई0टी0पी0 की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एफजेडडी/2021/3758, दिनांक 07.01.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में एस0टी0पी0/ई0टी0पी0 की स्थापना हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अवगत कराना है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में एस0टी0पी0/ई0टी0पी0 की स्थापना हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमोदित लागत रू0 500.85 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-48/2021/503/71-3-2021-, दिनांक 31.03.2021 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में एस0टी0पी0/ई0टी0पी0 की स्थापना हेतु अनुमोदित लागत रू0 500.85 लाख के सापेक्ष 24-वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 135.63 लाख (रू0 एक करोड़ पैंतीस लाख तिरसठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
3. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0 /बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाए।
6. प्रश्नगत प्रायोजना से सम्बन्धित मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-48/2021/503/71-3-2021-, दिनांक 31.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021] दिनांक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-82-मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by कुलदीप कुमार रस्तोगी
Date: 21-01-2022 18:25:04
Reason: Approved

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या/दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।